न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 45/2016

1 बिदामी देवी स्त्री पालाराम।
2 हवासिंह पुत्र पालाराम।
3 सुमेर सिंह पुत्र पालाराम।
4 प्रकाशचन्द पुत्र पालाराम।
5 भैरूरम पुत्र श्योनाथ।
6 कानाराम पुत्र किशनाराम।
7 गोपालराम पुत्र जोराराम।
8 भोलाराम पुत्र जोराराम (मृत)।
8/1 उर्मिला देवी बेवा भोलाराम।
8/2 मुकेश कुमार पुत्र भोलाराम।
8/3 रामसिंह पुत्र भोलाराम समस्त जति जाट निवासीगण गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8/4 सरोज पुत्री भोलाराम पत्नी मुकेश।
8/5 अंशु पुत्री भोलाराम स्त्री कमलेश कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण गोपालपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र श्रीराम।
2 जैतली स्त्री श्रीराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोडावास तहसील नीमकाथाना जिल सीकर।
3 रकजोडी पुत्री श्रीराम पत्नी रामेश्वरलाल।
4 ग्यारसी पुत्री श्रीराम स्त्री ताराचन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 नीमली पुत्री श्रीराम स्त्री कजोडराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डेसवाल तन मावन्डा खुर्द मावन्डा रेल्वे स्टेशन के पास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 नानची पुत्री श्रीराम स्त्री ग्यारसीलाल।
7 धर्मली पुत्री श्रीराम स्त्री रघुवीर।
8 शान्ति देवी पुत्री श्रीराम स्त्री शीशराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी टिलावाली तन मरवण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
9 सुनिता पुत्री पालाराम स्त्री सत्यनारायण।
10 सुन्दर देवी पुत्री श्योनाथ स्त्री भोलाराम (मृत)।
10/1 हरिसिंह पुत्र भोमाराम।
10/2 ख्यालीराम पुत्र भोमाराम।
10/3 सुरेश कुमार पुत्र भोमाराम।
10/4 किताब पुत्री भोमाराम पत्नी करणसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी हेमावाली तन हरडया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
11 पतासी देवी पुत्री श्योनाथ स्त्री फुलाराम जाति जाट निवासी गाढ़ी माढा वाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
12 छोटी उर्फ सन्तोषा पुत्री श्योनाथ स्त्री अमीलाल जाति जाट निवासी ढ़ाणी कुशलावाली तन मावन्ड़ा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
13 श्रवणी पुत्री किशनाराम स्त्री महावीर।
14 प्रभाती पुत्री जोरूराम स्त्री अमरसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मुराजपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
15 सजना पुत्री जोरूराम स्त्री रामनारायण।
15/1 दलीप पुत्र रामनारायण।
15/2 फुली पुत्री जोरूराम स्त्री श्योराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी कुशलावाली तन मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
15/3 किरण पुत्री रामनारायण स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढ़ाणी डीमा की तन हरडिया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन संजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.1985
बसिलसिले दावा अनुवानी श्रीराम बनाम जोरा
मुकदमा नम्बर 13/1981 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नीमकाथाना अपील अन्तर्गत धारा
223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.03.2022—

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 13/1981 में पारित निर्णय दिनांक 02.01.1985 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 156 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बरर 158 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 159 7 बीघा 5 बिस्वा तन ग्राम चक चारावास स्थित हे जो अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 16 की पैतृक भूमियां है जो उनके पूर्वज बींजाराम के समय से है जिनकी खातेदारी में बींजाराम के पुत्र श्योनाथ, किशना व जोरूराम के हक में खातेदारी गलती से अंकित न होकर गलत रूप से अर्जुन पुत्र बींजाराम के हक में 1/2 व श्योनाथ आदि के भानजा श्रीराम के हक में 1/2 हिस्से की दर्ज हो गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 के पिता श्रीराम ने विवादित आराजीयात को हड़प करने की नियत से एक सर्वथा झुठा व गलत तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विवादित आराजीयात की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सम्पूर्ण भूमि हड़प करने की नियत से एक दावा अनुवानी श्रीराम बनाम जोरा पुत्र बींजा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में पेश किया जिसमें उल्लेख किया कि 1/2 भाग की खातेदारी वादी श्रीराम के हक में अंकित है तथा 1/2 भाग की खातेदारी गलती से उसकें मामा अर्जुन पुत्र बींजा के हक में दर्ज हो गई। अर्जुन का देहान्त निःसन्तान हो गया अतः रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 के पिता व पति श्रीराम ने स्व. अर्जुन के भाई श्योनाथ, किशनाराम व उनकें वारिसान को दावे में पक्षकार बनाये बिना ही केवल एक भाई जोरूराम पुत्र बींजाराम को दावे में पक्षकार बनाया व उसकी विधिवत तामील करवाये बिना ही व बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य के केवल मात्र अपने स्वंय के व दूसरे गवाह श्योनाायण के झुठे बयानों के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.01.1985 विरूद्व कानून पारित करते हुये वादी का दावा डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों केवल जमाबंदी संवत 2031 से 2036 प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। केवल मात्र एक जमाबंदी के आधार पर वाद डिक्री किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट संख्या 7 व 8 के पिता जोरूराम की तामील बिना न्यायालय आदेश के चस्पादंगी से करवाया जाना भी विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार नही बनाया गया है। इसके अभाव में घोषणा का वाद डिक्री किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है। वादी द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था जबकि अपीलांट विवादित भूमि के 1/2 के खातेदार अर्जुन के उत्तराधिकारी होने के कारण प्रभावित पक्षकार है। पक्षकार नही होने से अपीलांट को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी है। अत आवेदन धारा 5, धारा 96 एवं अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 156,158,159 तन ग्राम चक चारावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर स्थित है उक्त आराजीयात की लगान रसीद श्रीराम के नाम से सदैव से बनती आ रही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 156 ग्रम चक चारावास तहसील नीमकाथाना से होकर डेडीकेटेड फेंट कॉरीडोर पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना योजना 2007 के अन्तर्गत परियोजना प्रभावितो को सहायता राशि अवाप्तशुद्वा रकबाा की रेस्पोडेंट संख्या 1 भागीरथ पुत्र श्रीराम ने बहैसियत खातेदार काश्तकार चैक सन 2010 में अपील दायरी से काफी समय पूर्व ही प्राप्त किया है व अपीलांट संख्या 2,3,4,5 व रेस्पोडेंट संख्या 9 को भी उसी समय ग्राम गोडावास की भूमियों का मुआवजा प्राप्त किया है इस प्रकार अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से ही रही है। विवादित आराजीयात के सम्बंध में अपीलांट संख्या 5 व 6 तथा मृतक जोराराम व पालाराम ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता श्रीराम के हक में सावन सुदी ग्यारस संवत 2036 दिनांक 04.08.1979 को यादास्ती बात लिखावट लिखकर अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की है अतः अपीलांट को विवादित आराजीयात की खातेदारी व कब्जे के सम्बंध में जानकारी शुरू से रही है। अपीलांट विवादित भूमि में प्रभावित पक्षकार नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील धारा 5 एवं धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों केवल जमाबंदी संवत 2031 से 2036 प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। केवल मात्र एक जमाबंदी के आधार पर वाद डिक्री किया जाना विधि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सजरद अपील अधिकारी
सीकर

सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट संख्या 7 व 8 के पिता जोरूराम की तामील बिना न्यायालय आदेश के चस्पादंगी से करवाया जाना भी विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय में भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार नही बनाया गया है। इसके अभाव में घोषणा का वाद डिक्री किया जाना विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था जबकि अपीलांट विवादित भूमि के 1/2 के खातेदार अर्जुन के उत्तराधिकारी होने के कारण प्रभावित पक्षकार है। पक्षकार नही होने से अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी है। अत न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है एवं धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्याायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर